फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

बूटाराम बनाम जुम्माराम

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 67/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
27–09–16	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 22–11–16 को पेश हो। [initials]	③ N.1 without ② 2464 / 7.10.16
22.11.16	अपीलांट के Ad. उप० । रेस्पो० सं० 2-3 के सम्मन बाद तामील प्राप्त । रेस्पो० सं० एक का सम्मन वापिस प्राप्त नहीं हुआ । रेस्पो० सं० दो की ओर से श्री नरेश कुमार गाबा Ad. ने वकालतनामा पेश किया - शामिल पत्रावली रहे । अपील से संबंधित रेकार्ड अधी० न्यायालय से तलब करें । रेस्पो० सं० 3 की ओर से G.A. उप० । पत्रावली इंतजार रेकार्ड व सम्मन रेस्पो० सं० एक में दिनांक 9-1-17 को पेश हो । पुनश्च: इतना लिखने पर रेस्पो० सं० एक की ओर से श्री राकेश कुमार Ad. ने वकालतनामा पेश किया - शा० मिसल रहे । पत्रावली दि० 9-1-17 को पेश हो । [initials]	
9.01.17	अभिभाषक उभय पक्ष उप० । रिकॉर्ड तलब करें । पत्रावली दिनांक 7.02.17 को को पेश हो । [initials]	110 / 9.01.17

27.05.25 अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। जवाब हेतु समय चाहा, जो दिया जाता। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/7/25 को पेश हो।

23/7/25 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। जवाब हेतु समय चाहा, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 09/9/25 को पेश हो।

09.09.25 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। जवाब हेतु समय चाहा, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08.10.25 को पेश हो।

8.10.2025 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के प्रार्थना पत्र दिनांक 23/8/2018 का जवाब पेश नहीं किया है, न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया गया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.2025 को पेश हो।

11/11/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित नही। अधिवक्ता अपीलान्ट को पृथक–पृथक समय पर रूक–रूक कर बार–बार आवाजे लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें व बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner